न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 23/2016

अनवान :—

श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी— कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्री रामगोपाल पुत्र श्री गिरधरलाल (विक्रेता एवं भागीदार) मैसर्स गिरधर लाल रामगोपाल के.ई.एम.रोड़ बीकानेर निवासी — नाहटो का चौक, बीकानेर
2. श्री योगेन्द्र गांधी भागीदार मैसर्स गिरधर लाल रामगोपाल के.ई.एम.रोड़ बीकानेर
3. श्रीमती मीना देवी गांधी भागीदार मैसर्स गिरधर लाल रामगोपाल के.ई.एम.रोड़ बीकानेर निवासी — नाहटो का चौक, बीकानेर
4. श्री मोहनलाल अग्रवाल, प्रो. मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार, कोयला गली अलख सागर रोड़ बीकानेर
5. श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री एम.पी. जैन मैनेजर एवं नोमिनी मैसर्स मॉडर्न डेयरीज लि. 136 किलोमीटर स्टोन जी.टी.रोड़ करनाल(हरियाणा)
6. मैनेजर एवं नोमिनी मैसर्स मॉडर्न डेयरीज लि. 136 किलोमीटर स्टोन जी.टी.रोड़ करनाल (हरियाणा)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से — श्री महमूद अली खा.सु.अ.
2. अप्रार्थीगणों की तरफ से — श्री सुरेन्द्र आसीजा एडवोकेट

: निर्णय : दिनांक 30.10.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.05.2015 को अप्रार्थीपक्ष श्री रामगोपाल पुत्र गिरधरलाल (विक्रेता एवं भागीदार) मैसर्स गिरधरलाल रामगोपाल के.ई.एम. रोड़, बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान के कांउन्टर में 18 पैकेट 200 एम.एल. पैंकिग के घी(श्वेता) आम जनता को वास्ते विक्रय हेतु रखे हुए थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैकेटों में से 4 पैकेट 200 एम.एल. पैंकिंग वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय किये जिसकी कीमत रूपये 280/— विक्रेता को नगद देकर माल खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त क्रय किये गये घी(श्वेता) के 4 पैकेट पर लेबल फॉर्म तैयार कर उनपर विक्रेता, गवाहान स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक पैकेट पर लेबल फार्म चिपका कर, प्रत्येक पैकेट को एक मोटे मजबूत खाकी कागज में लपेटकर अच्छी तरह गोंद से चिपका कर एवं उन पर पेपर स्लिप कोड नम्बर एवं सीरियल नम्बर ए.बी.— 488 पूरे रांउड पर गोंद से चिपका कर प्रत्येक पैकेट को मजबूत व मोटे डोरे से बांध कर प्रत्येक पैकेट को

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

चार–चार जगह दोनों साईडो पर सील चपड़ी कर उन पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने किये तथा मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, पढ़ाकर, समझाकर उनके हस्ताक्षर कराये व स्वयं खा.सु.अ. ने किये। उक्त सील्ड पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 31.07.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगणों द्वारा घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड स्तर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगणों की तरफ से श्री सुरेन्द्र कुमार आसीजा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया तद्न्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से घी(श्वेता) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक एल.एस./1146/एक्ट/2015/651 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार इस मामले में अप्रार्थी के यहां घी(श्वेता) Reichert Value Shall be Min. 28.0 की तुलना में 26.95 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रकरण में नमूना वास्ते जांच दिनांक 18.05.2015 को लिया और आवेदक ने माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 20.5.2016 को प्रस्तुत किया है, जो मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया । प्रथम दृष्टया ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 में प्रावधान के तहत प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोजन कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में अभियोजन हेतु संज्ञान की समय सीमा एक वर्ष निर्धारित है। जांच हेतु दिनांक 21.5.2015 को प्रयोगशाला को भेजी गई। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्डस रूल्स 2011 के रूल 2.4.2(5) के प्रावधानों के अनुसार नमूना जांच रिपोर्ट नमूने की प्राप्ति के 14 दिनों में भेजी जानी आवश्यक है। लेकिन

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

विश्लेषक ने 57 दिनों की देरी से नमूने की जांच के पश्चात मुख्य खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट 31.07.2015 को अभिहित अधिकारी को भेजी गयी। अभियोजन स्वीकृति without application of mind के जारी की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.10(2) में घी के मानक का प्रावधान किया गया है। जिसमें राजस्थान में घी का मानक Reichert Value (a) Areas other than Jodhpur district-26(b) Jodhpur district-21 निर्धारित किया हुआ है। जांच रिपोर्ट विश्लेषक ने नमूना घी(श्वेता) की जांच में घी की Reichert value- 26.95 पायी। अधिनियम एवं उससे संबंधित विनियमों में जिसमें कम से कम Reichert Value 26 होनी चाहिए था प्रावधान होने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिपक्षी के उत्पाद को अविधिक रूप से एवं अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत सबस्टैण्डर्ड बताया है जबकि प्रतिपक्षी का उत्पाद पूर्ण रूप से सही एवं मानक स्तर का है। प्रतिपक्षी का सैम्पल उच्च एवं मानक स्तर का होने के बावजूद अवमानक स्तर का बताकर आवेदन प्रस्तुत किया है। नमूना लिये जाने के संबंध में प्रतिपक्षी संख्या 5 व 6 को सूचना प्रेषित नहीं की गई। जबकि उक्त प्रकार की सूचना प्रेषित किये जाने का दायित्व आवेदक पर पूर्णरूप से था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 47(1)(ए) सूचना प्रेषित किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है, की अवहेलना की है। आवेदक ने बिना Agmark seal के उत्पाद के उत्पादक के राज्य के प्रावधान को बीकानेर में लागू नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता ने अन्त में यह भी कथन किया कि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां स्वीकार फरमायी जाकर आवेदक का आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे एवं प्रतिपक्षीगण को शास्ति के दायित्व से मुक्त किया जाने का आदेश फरमावें।

5. इसके खण्डन में प्रार्थी पक्ष की ओर प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी निरीक्षक ने निरीक्षण कार्य 18.05.2015 को अप्रार्थी स्थल पर किया गया था जहां वरवक्त निरीक्षण घी (श्वेता) के पैक्ड पैकेट विक्रय हेतु रखा गया था। इस घी (श्वेता) का नमूना लेने हेतु अप्रार्थी पक्ष एवं गवाहान के सामने प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई तथा नमूना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को नियमानुसार वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच करवाने के संबंध अप्रार्थीपक्ष को नियमानुसार सूचित किया गया था। अप्रार्थी को पुनः जांच जरिये रजिस्टर्ड एडी सूचित किया गया। परन्तु अप्रार्थी ने पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया। उत्पाद का नमूना के संबंध में प्रतिपक्षी सं. 5 व 6 को फॉर्म नं. वीए की सूचना प्रेषित नहीं की गयी क्योंकि मौके पर प्रतिपक्षी नं. 1 को ही फॉर्म वीए की प्रति दी गई है। प्रतिपक्षी नं. 1 द्वारा मौके पर कोई वारन्टी उपलब्ध नहीं करवाई जिसके कारण मौके प्रतिपक्षी 01 के अलावा किसी को भी वारन्टी के अभाव में फार्म नं. वीए नहीं भिजवाया गया। फॉर्म में जिनका नाम अंकित किया है उन्ही को नोटिस दिया गया है। खाद्य विश्लेषक को नमूने का विश्लेषण कर जांच रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

रिपोर्ट अभिहित अधिकारी को भेजनी होने के संबंध में एफ.ए. द्वारा नमूने की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उसका विश्लेषण न हो सकने की दशा में, खाद्य विश्लेषक अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त के कारण बताते हुए और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचित करने का प्रावधान धारा 46 की उपधारा 4 के प्रावधान के अन्तर्गत ध्यान में रखते हुए जांच रिपोर्ट भिजवाई है। घी(श्वेता) को निर्मित करने वाली कम्पनी हरियाणा प्रान्त की है और हरियाणा में ही Minimum Reichert value- Areas other than Cotton tract areas में 28 है। उक्त उत्पाद हरियाणा में निर्मित है। केवल Cotton tract areas में ही Reichert value 26 है। जो जांच रिपोर्ट में घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। विभागीय प्रतिनिधि ने मियाद बिन्दू के संबंध में कथन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिपक्षी के उत्पाद का नमूना दिनांक 18.5.2015 को लिया और आवेदक ने माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 17.5.2016 को अभिहित अधिकारी द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति के साथ मियाद अन्दर प्रस्तुत किया गया है। अतः अप्रार्थीपक्ष के द्वारा एफएसएस एक्ट की धारा 26(2)ा का जुर्म कारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टिया प्रमाणित होना पाया जाता है इसलिए अप्रार्थीपक्ष को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. हमने पत्रावली् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 18.05.2015 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण 200 एमएल पैकिंग घी (श्वेता) के करीब 18 पैकेट मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। जहां तक अप्रार्थी पक्ष का यह कथन की निरीक्षण के द्वारा नमूने लिये जाने के समय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की एवं एफएसएस एक्ट पूर्ण पालना नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है। वरवक्त निरीक्षण नमूनें लिये जाते समय एफएसएस एक्ट एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना निरीक्षण प्रार्थी द्वारा की गई है। नमूनें अप्रार्थी एवं गवाह की उपस्थिति में लिये गये है। लिये गये नमूनें में से प्रथम नमूना नियमानुसार जांच हेतु भेजा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 31.07.2015 के अनुसार जांच परिणाम के अनुसार सबस्टेण्डर्ड फूड पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट आने के पश्चात एफएसएस एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्टेट द्वारा अप्रार्थीपक्ष को अवगत करवाया गया है। इस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया। प्रश्नगत उत्पाद का विक्रय राजस्थान में किया गया है जबकि इसका उत्पादन/विर्निमाण हरियाणा में हुआ है जहां पर मानक 28 है। जांच रिपोर्ट विश्लेषक ने नमूना घी(श्वेता) की जांच में घी की Reichert value- 26.95 पायी। हरियाणा में ही Minimum Reichert value- Areas other than Cotton tract areas में 28 ही है। उक्त उत्पाद हरियाणा में निर्मित है। केवल Cotton tract areas में ही Reichert value

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

26 है। जांच रिपोर्ट में घी (श्वेता) को सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। पत्रावली में मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक एल.एस./1146/एक्ट/2015/651 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार इस मामले में अप्रार्थी के यहां घी(श्वेता) Reichert Value Shall be Min. 28.0 की तुलना में 26.95 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। जो की एफएसएस की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

7. यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये परिवाद कार्यवाही दायर की गई है। प्रार्थी स्टेट द्वारा परिवाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 में प्रावधान के तहत प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोजन कार्यवाही निरस्त किये जाने का तर्क मान्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के यहां दिनांक 18.5.2015 को सैम्पल लिया है तथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.05.2016 को समय सीमा एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में प्रार्थी पक्ष की ओर से उल्लेखित तथ्यों का कोई ठोस खण्डन अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी पक्ष की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा घी (श्वेता) सबस्टेण्डर्ड विकय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा घी (श्वेता) सबस्टेण्डर्ड विकय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

8. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ घी (श्वेता) सबस्टेण्डर्ड का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत रूपये 1,10,000/– (अखरे रूपये एक लाख दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है।

9. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

10. खादय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही सबस्टेण्डर्ड खादय पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 50,000/– अखरे पचास हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को संयुक्त रूप से दायी घोषित किया जाता है।

11. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खादय पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 (विक्रेता एवं भागीदार) तथा अप्रार्थी संख्या 4 (वितरक) द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खादय सामग्री घी (श्वेता) का वितरण/विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 5 व 6 विनिर्माता की शास्ति राशि को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति राशि रूपये 60,000/– में से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की शास्ति राशि रूपये 30,000/– समान रूप से 1/3 शास्ति राशि यानि 10,000/–, 10,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 भरने हेतु दायी होगा तथा अप्रार्थी संख्या 4 वितरक की शास्ति राशि रूपये 30,000/– भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,10,000/– (अखरे एक लाख दस हजार रूपये) में से अप्रार्थी संख्या 5 व 6 (विनिर्माता) संयुक्त रूप से 50,000/– रूपये, अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 10–10 हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 4 वितरक रूपये 30,000/– की शास्ति अदा करेगें।

12. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 6 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर